दूरभाषः26175176
फैक्सः 26162093

संख्या-15/2/2016-उ.नि.(परीक्षा)/ 1022

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना
उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066

दिनांकः 9/5/2016

सेवा में

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

विषयः-**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी भाषा की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग के दिनांक 16.2.2015 के पत्रांक 21034/18/2014-राभा(प्रशिक्षण) के अनुपालन में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी भाषा की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित बिंदुओं पर सुधार किए जा रहे हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत के बजाय 35 प्रतिशत किए गए हैं।

2. परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है न कि कुल योग के आधार पर।

3. परीक्षार्थी के किसी भी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर उसे संपूर्ण परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित न करके केवल उसी प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा तथा उसे केवल उसी प्रश्न-पत्र को पुनः उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. पत्राचार माध्यम से प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी के उत्तर-पत्र (रिस्पांस-शीट) समय पर प्राप्त न होने पर उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित न करके उनकी प्रश्न-पत्र III की मौखिक परीक्षा ली जाएगी।

उदाहरण के लिए उक्त आदेश के अनुसार निम्नलिखित चार्ट तैयार किया गया है, मई, 2016 की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत परीक्षाओं के साथ-साथ भाषा की अन्य सभी परीक्षाओं पर तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित चार्ट के अनुसार परिणाम घोषित किए जाएंगे :-

| प्रश्न पत्र | प्रश्न पत्र | प्रश्न-पत्र | परिणाम |
|---|---|---|---|
| I | II | III<br>मौखिक/आंतरिक मूल्यांकन | |
| 35 या 35 से अधिक | 35 या 35 से अधिक | 35 या 35 से अधिक | **उत्तीर्ण** |
| 35 से कम | 35 से कम | 35 से कम | **अनुत्तीर्ण** |
| 35 से कम | 35 से कम | 35 या 35 से अधिक | **अनुत्तीर्ण** |
| 35 से कम | 35 या 35 से अधिक | 35 से कम | **अनुत्तीर्ण** |
| 35 या 35 से अधिक | 35 से कम | 35 से कम | **अनुत्तीर्ण** |
| 35 से कम | 35 या 35 से अधिक | 35 या 35 से अधिक | **पूरक-I** |
| 35 या 35 से अधिक | 35 से कम | 35 या 35 से अधिक | **पूरक-II** |
| 35 या 35 से अधिक | 35 या 35 से अधिक | 35 से कम | **पूरक-III** |
| अनुपस्थित | अनुपस्थित | 35 या 35 से अधिक | **अनुत्तीर्ण** |
| अनुपस्थित | अनुपस्थित | 35 से कम | **अनुत्तीर्ण** |
| अनुपस्थित | अनुपस्थित | अनुपस्थित | **अनुपस्थित** |
| अनुपस्थित | 35 या 35 से अधिक | अनुपस्थित | **अनुत्तीर्ण** |
| 35 या 35 से अधिक | 35 या 35 से अधिक | अनुपस्थित | **पूरक-III** |
| अनुपस्थित | 35 से कम | 35 या 35 से अधिक | **अनुत्तीर्ण** |
| 35 या 35 से अधिक | अनुपस्थित | अनुपस्थित | **अनुत्तीर्ण** |
| 35 या 35 से अधिक | अनुपस्थित | 35 या 35 से अधिक | **पूरक-II** |
| अनुपस्थित | 35 या 35 से अधिक | 35 या 35 से अधिक | **पूरक-I** |

**प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत परीक्षाओं में पूरक आने पर टंकण परीक्षाओं की भांति अगले सत्र की परीक्षा में प्राइवेट रूप से अपने मूल अनुक्रमांक से पूरक प्रबोध/पूरक प्रवीण/पूरक प्राज्ञ/पूरक पारंगत परीक्षा में बैठना होगा। पूरक परीक्षा (पूरक प्रबोध/पूरक प्रवीण/पूरक प्राज्ञ/पूरक पारंगत) में यदि वह परीक्षार्थी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो उसे पूरक परीक्षा परिणाम में पूर्णतया अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।**

उक्त सभी सुधारों की सूचना सभी संबंधित सहायक निदेशकों, हिंदी प्राध्यापकों तथा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, निकायों आदि को भी देने का कष्ट करें।

ये आदेश हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उप संस्थान के अंतर्गत होने वाली प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत की सभी परीक्षाओं पर लागू होंगे।

ये आदेश मई, 2016 सत्र की परीक्षाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा की अन्य सभी परीक्षाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

सुमनलाल
9/5/2016

(सुमन लाल)
उप निदेशक (परीक्षा)
कोड - chti1102

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, एन.डी.सी.सी.-II भवन, नई दिल्ली।
2. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एन.आई.सी.), राजभाषा विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे बेवसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।